शिक्षा अधिकारी, होशियारपुर को इस पत्र, 2 जनवरी, 1978 को (परिशिष्ट पी-7), जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 जनवरी, 1977 के निर्देशों के अनुसार, ये निर्देश केवल तभी लागू होंगे अगर यह याचिका फाइल की गई हो। यह संचार उत्तेजित करने के लिए आया था और इसलिए यहां तक भी बिना किसी आवश्यकता के।

(7) जब अदालत ने यह ठान लिया था कि सरकार को निजी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन स्थापित सिद्धांतों के अनुसार तय करना होता है, तब संबंधित अधिकारियों को सभी ऐसे शिक्षकों के वेतन को उसी तरीके से निर्धारित करना चाहिए था। जो लोग इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर चुके थे, उन्होंने इसका कोई विशेष समूह नहीं बनाया था जो इस उद्देश्य के लिए अलग व्यवहार के हकदार हों। इस स्थिति में प्रवेश करने के लिए यहां तक कि पेटीशनर को कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ रहा था, इससे नकारात्मक टिप्पणी नहीं आ सकती।

(8) इस प्रकार, प्रार्थना को मंजूरी दी जाती है कि उत्तरदाताओं को दिशा दी जाए, यानी, 28 अगस्त, 1961 के स्मारक के अनुसार उसका वेतन तय किया जाए। इसलिए, यह याचिका लागू की जाती है जिसकी लागत, यहां के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 1,000 रुपये मानी जाती है।

पूर्ण बेंच

प्रस्तावक: पी. सी. जैन, मुख्य न्यायाधीश, एस. एस. कांग, और आई. एस. तिवाना, जस्टिस

जोगिंदर सिंह,—प्रार्थी।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,—उत्तरदाता।

सिविल राइट पेटीशन संख्या 833 का 1986

17 जुलाई, 1986

हरियाणा एक्साइज और टैक्स इंस्पेक्टरेट (राज्य सेवा कक्षा III) नियम 1969—अपेंडिक्स 'डी'—टैक्सेशन इंस्पेक्टर्स के पदों पर भर्ती—नियम जो एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा प्रक्रिया को शामिल करते हैं, जिसमें लिखित परीक्षण और विवा वोस होता है— विवा वोस के लिए अंक अनुमति दी गई—क्या यह 12.2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आशोक कुमार यादव के मामले में निर्देशित किया था—विवा वोस के लिए अधिक प्रतिशत—क्या यह चयन को अमान्य बना देता है— साक्षात्कार के लिए बुलाए गए

उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचनों की संख्या से बहुत अधिक थी—क्या यही कारण है—क्या सारी चयन को अमान्य बना देती है।

निर्णय, कि 12.2 प्रतिशत पर विवा वोस परीक्षण के अंक का निर्धारण केवल हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए होता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आशोक कुमार यादव के मामले में निर्देशित किया है और कि विवा वोस परीक्षण का प्रतिशत अन्य मामलों में नहीं लागू हो सकता। 'अन्य संबद्ध सेवाओं' के शब्दों का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इसका इरादा नहीं किया कि राज्य में सभी सेवाओं के साथ-साथ विवा वोस परीक्षण के लिए केवल 12.2 प्रतिशत अंक निर्धारित किए जाने चाहिए और इसके बावजूद, पिटीशनरों को यह सिद्ध करना चाहिए था कि जिन सेवाओं के लिए उच्चतम प्रतिशत अंक विवा वोस परीक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन्हें अत्यधिक माना गया है। खुले प्रतिस्पर्धी परीक्षा को लगभग सर्वत्र स्वीकार किया गया है जैसा कि सार्वजनिक सेवा में प्रवेश के लिए कोई कठिन और तय सिरे का नियम नहीं हो सकता। लिखित परीक्षा के विरूद्ध विवा वोस परीक्षण को दिया जाने वाला वजन किसी भी निर्दिष्ट नियम का नहीं हो सकता। क्योंकि प्रार्थी ने तथ्य पर आधारित निर्णय को दर्ज करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए यह न केवल कठिन है, बल्कि अनुचित भी है कि यह विवा वोस परीक्षण के लिए निर्धारित प्रतिशत अधिक है इसे सिर्फ अनुमानों के आधार पर ही अधिक माना जाये।

(पैरा 12, 14 और 16)

निर्णय, कि हालांकि बहुत से उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना सही नहीं था, फिर भी विवा वोस परीक्षण में कुछ अनियमितता शामिल हो सकती है, उसमें संदेह की बात मन में हो सकती है कि कुछ मामूली विचाराधीनता मार्किंग में शामिल हो सकती है, लेकिन आपत्ति के स्थान पर प्रमाण नहीं हो सकता, और किसी भी चयन को विवा वोस परीक्षण में उम्मीदवारों के अंकों की मूल्यांकन को अनियर्थक मानकर उसे खारिज करना सही नहीं है।

प्रार्थी के लिए सकारात्मक रूप से सिद्ध करना है कि बोर्ड द्वारा की गई मार्किंग सरल और निर्दोष रूप से अनियमित थी या छलांगे पूर्व नहीं की गई थी। केवल यदि मूल रूप से विचारशून्य हो या अनियमितता का जोखिम इतना अधिक हो कि एक उचित व्यक्ति अनियमितता को अवश्य होने वाला समझेगा, तो विवा वोस परीक्षण में अंकों का मूल्यांकन अनियमितता की दोषयुक्त गुणवत्ता से पीड़ित हो सकता है।

(पैरा 18)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नागरिक लेखा पेटीशन जिसमें यह मांग की गई है: —

(i) मामले की रिकॉर्ड बुलाया जाए;

(ii) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दी जाएं;

(iii) उत्तरदाताओं संख्या 2 और 3 द्वारा किए गए टैक्सेशन इंस्पेक्टर्स के चयन और नियुक्ति को निरस्त करने के लिए एक विवा वोस प्रक्रिया की तरह के लिए रिवोक के लिए एक व्रीत जारी की जाए;

(vi) विवा वोस के लिए 28.5 प्रतिशत अंक प्रदान करने वाले नियम को निरस्त करने के लिए एक व्रीत जारी की जाए;

(v) इस मामले की विशेष परिस्थितियों में जैसा कि यह मान्य न्यायाधीश अच्छा समझें, किसी भी अन्य व्रीत, आदेश या दिशा प्रदान की जाए;

(vi) प्रार्थी को इस पेटीशन के प्रति लागत दी जाए।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस राइट पेटीशन के प्रारंभ होने के दौरान टैक्सेशन इंस्पेक्टर्स की और नियुक्ति बंद हो।

आर. के. मलिक, प्रतिवादी प्रार्थी के साथ एस. एस. अहलावत, प्रतिवादी प्रार्थी के लिए वकील।

एच. एल. सिब्बल, ए.जी. (हरियाणा) बी. एल. बिश्नोई, अतिरिक्त ए.जी. (हरियाणा) उत्तरदाताओं संख्या 1—3 के लिए।

कुलदीप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. एस. निज्जर और जी. सी. गुप्ता, वादी प्रतिवादी उत्तरदाता के लिए।

न्यायाधीश प्रेम चंद जैन, मुख्य न्यायाधीश।

(1) हमारा यह निर्णय इसे और जुड़े C.W.P. संख्या 554 का प्रक्रियात्मक निर्णय करेगा, जो वीरेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में एक समान कानूनी और तथ्य का प्रश्न उठाते हैं।

2) विवाद को समझने के लिए, इस पेटीशन से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी जा सकती हैं।

(3) 1982 के जुलाई में, सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (जिसे यहाँ 'बोर्ड' कहा गया है) ने टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 20 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। ये टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद एक सांविधिक नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें 'हरियाणा एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टरेट (राज्य सेवा, क्लास III) रूल्स, 1969' (जिसे यहां 'नियम' कहा गया है) कहा जाता है। नियम की अपेंडिक्स 'डी' जो निरीक्षक पद के उम्मीदवारों के प्रतिस्पर्धी परीक्षा के विषयों और मानक के संबंध में प्रावधान करती है, निम्नलिखित शब्दों में है : —

"1. (1) परीक्षा चार पेपर्स और विवा वोस से मिली होगी।

(2) अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पेपर अंग्रेजी में होंगे, जबकि हिंदी के प्रश्न हिंदी में होंगे।

(3) कोई उम्मीदवार विवा-वोस के लिए मान्य ही माना जाएगा जब तक वह प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक और कुल में 40 प्रतिशत नहीं प्राप्त करता है। हालांकि, विवा वोस के लिए कोई न्यूनतम नहीं होगा। लिखित पेपर्स और विवा वोस के कुल अंक उम्मीदवार की रैंक निर्धारित करेंगे।

(4) परीक्षा के निम्नलिखित विषय होंगे:

(1) अंग्रेजी

(2) हिंदी (देवनागरी लिपि में)

(3) सामान्य ज्ञान

100 अंक

50 अंक

100 अंक

(4) विवा वोस . . . 100 अंक

(4) प्रार्थी ने लिखित परीक्षा में भाग लिया और सफलतापूर्वक पास हुए और 14 दिसम्बर, 1985, को नई दिल्ली में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। प्रार्थी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पेटीशन में यह कहा गया है कि प्रार्थी के सामने लगभग 11 मिनट के लिए साक्षात्कार लिया गया और केवल नाम और पिता का नाम जैसे संरचनात्मक प्रश्न पूछे गए। किसी और प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। साक्षात्कार के समापन के बाद, 1986 के पहले हफ्ते में, बोर्ड ने टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद के लिए 49 व्यक्तियों की सिफारिश की।

(5) प्रार्थी इस पेटीशन के माध्यम से चिह्नित कर रहे हैं चयन की मान्यता और वैधता पर शंका को, जिसमें यह आरोप है कि विवा वोस के लिए आवंटित अंक 100 हैं जो 28.5 प्रतिशत को आते हैं, जो अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, 28.5 प्रतिशत अंक विवा वोस के लिए अधिक है और टैक्सेशन इंस्पेक्टरों का चयन कानून में खराब है, कि अशोक कुमार यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि विवा वोस परीक्षण के लिए आवंटित किए गए अंकों की आंकलनीय धराई होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड ने 28.5 प्रतिशत अंकों को अनुचित रूप से बनाए रखा है, कि बोर्ड ने अधिक अंकों को सदस्यों के परिवार को शामिल करने के उद्देश्य से रखा है, कि अशोक कुमार यादव के मामले में (उपरोक्त) सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवेदित रिक्तियों की त्रैतीयक संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में

केवल 29 रिक्तियां थीं और बोर्ड ने साक्षात्कार के लिए 494 उम्मीदवारों को बुलाया था, जो रिक्तियों के लगभग 16 गुना था, और उम्मीदवारों को केवल एक या दो मिनटों तक साक्षात्कार लिया गया था, जिससे परिणामस्वरूप सदस्यों को इतने कम समय में उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करना संभव नहीं था। इन आरोपों के आधार पर, बोर्ड की क्रिया को अनियमित और अनुचित घोषित किया गया है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।

(6) पेटीशन 20 फरवरी, 1986 को मोशन सुनवाई के लिए आया जब बेंच ने नोटिस जारी किया। इसके उत्तर में, श्री एल. एम. मेहता, एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर, उत्तरी क्रमांक 2, ने एक विस्तृत लिखित बयान दाखिल किया है जिसमें पेटीशन में किए गए प्रमुख आरोपों का खंडन किया गया है जिनमें यह भी कहा गया है कि उत्तरी क्रमांक 2 ने 4 जुलाई, 1985 को 79 विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए एक संशोधित मांग भेजी थी, जिसमें पहले से ही मांग की गई 29 उम्मीदवारों की शामिल थी, कि बोर्ड ने 1986 के जनवरी में 49 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी, कि अशोक कुमार यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां (सुप्रम) उपयुक्त हैं सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं के चयन के मामले में, और इसे उसी प्रकार लागू नहीं किया जा सकता, कि चयनित उम्मीदवारों को विवा वोस परीक्षण में अत्यधिक वजन नहीं दिया गया है सिद्ध या स्पष्ट अप्रत्याशित उद्देश्यों के साथ और, इसलिए, चयन में कोई भी अवैधता नहीं है, कि उत्तरी क्रमांक 2 ने 79 पदों के लिए एक संशोधित मांग भेजी थी और अगर साक्षात्कार के लिए बहुत सारे उम्मीदवार बुलाए गए हैं, तो यह तथ्य स्वयं में चयन को नष्ट नहीं करता है और कि बोर्ड द्वारा किया गया चयन नियमों और विज्ञापन के अनुसार है।

(7) लिखित बयान के फाइल होने के बाद, मामला अंततः विचार के लिए बेंच के समक्ष 12 मार्च, 1986 को आया, जब निम्नलिखित आदेश जारी किया गया:—

"संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका में, हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा कर निरीक्षकों का चयन, इस आपत्ति की गई है कि लिखित और विवा-वोस टेस्ट के लिए कुल अंकों में से 100 अंकों को उस पत्र को दिया गया था जिसने उस बोर्ड को मनमानी शक्तियों से संबंधित किया। इस मांग का समर्थन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आये फैसले से किया गया था अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2) मामले में।

राज्य द्वारा यह याचिका विरोधित की गई है और जिन व्यक्तियों को चयनित किया गया है, उन व्यक्तियों द्वारा भी। कुछ चयनित व्यक्तियों के पक्ष से श्री कुलदीप सिंह, जो की वकील हैं, ने हमारे ध्यान में लाया है कि इस महत्वपूर्ण न्यायालय के विभाग के हाल ही में एक फैसले में (सिविल रिट पेटीशन संख्या 4777 क्रमांक 1985 (सुखदेव सिंह निर्वान और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य) (3)) में, जहां परिक्षण में 35 प्रतिशत अंक आवंटित किए गए थे, वह आक्रमण खारिज कर दिया गया था। इस फैसले के द्वारा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आशोक कुमार यादव के मामले (सुप्र) में नियम को ध्यान में नहीं रखा गया

था। नये प्रवेशियों के मामले में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सेवा में आने वाले व्यक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि विवा वोस परीक्षण के लिए अंक अधिकतम 12.2 प्रतिशत जनरल श्रेणी में और 25 प्रतिशत उपसेना अधिकारियों के मामले में होने चाहिए। इस मामले में प्रतिस्पर्धी व्यक्तियों ने सेवा में प्रवेश के लिए पहली बार आया था और हमारी राय में 28 प्रतिशत अंकों को इंटरव्यू के लिए बहुत अधिक माना गया और बोर्ड को मनमानी शक्तियों से संबंधित किया। यहां तक कि एक ऐसे मामले में, जहां एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 50 अंकों से आगे था, बोर्ड द्वारा पहले उम्मीदवार को 80 अंक और दूसरे को 20 अंक आवंटित करके पहले उम्मीदवार से बहुत कम अंकों वाले व्यक्ति को चुन सकता था। इसी प्रकार की बोर्ड की ऐसी मनमानी चयन शक्ति जो आशोक कुमार यादव के मामले (सुप्र) में बचाई गई थी। हम इसलिए यहां तक पहुंचे हैं कि सुखदेव सिंह के मामले (सुप्र) में विभाजन बेंच के फैसले को एक बड़े से बेंच द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह मामला मान्य किया जाए।

(8) प्राथमिक आपत्ति जो मिस्टर मलिक, याचिकाकर्ता, ने उठाई थी, वह थी कि लिखित परीक्षा को अंकों के निर्धारण के तुलनात्मक रूप में, विवा-वोस परीक्षण के लिए आवंटित अंक बहुत अधिक थे और यह चयन प्रक्रिया में मनमानी का तत्व लाकर आता है जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को उल्लंघन करता है। उनकी यह दावा की समर्थन में, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले अशोक कुमार यादव के मामले (सुप्र) में की है। अर्थात, याचिकाकर्ता का ठीक दावा था कि अशोक कुमार यादव के मामले (सुप्र) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया है कि जहां प्रतिस्पर्धा परीक्षा लिखित परीक्षा और उसके बाद विवा-वोस परीक्षा से मिलकर होती है, तो विवा-वोस परीक्षण के लिए आवंटित अंक परिवहन और चयन के लिए लिए गए कुल अंकों का 12.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और क्योंकि इस मामले में विवा-वोस के अंक 12.2 प्रतिशत से अधिक हैं, तो बोर्ड द्वारा किया गया चयन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत, अवैध, मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को उल्लंघित करता है। दूसरी ओर, हरियाणा के माननीय वकील जी और श्री कुलदीप सिंह, वरिष्ठ वकील, ने यह दावा किया कि अशोक कुमार यादव के मामले (सुप्र) में निर्धारित नियम को याचिकाकर्ता द्वारा सही ढंग से पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि हर और हर चयन विवा वोस परीक्षण के लिए आवंटित अंकों में कुल अंकों का 12.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जो चयन के उद्देश्य से लिए गए कुल अंकों में शामिल होते हैं। ज्ञानी परामर्शक के अनुसार, हर मामले में यह निर्धारित करना होगा कि अंतर्वार्ता के लिए कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए।

(9) पक्षों के वकील के दावे पर, पहले यह जानना जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आशोक कुमार यादव के मामले में (सुप्र) निर्धारित किया है कि हर सेवा में जहां परीक्षा लिखित परीक्षा के बाद एक विवा वोस परीक्षण होता है, वहां विवा वोस के अंक कभी भी चयन के लिए लिए गए कुल अंकों का 12.2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते। सही

उत्तर ढूंढने के लिए, आशोक कुमार यादव के मामले (सुप्र) में न्यायिक निर्णय का एक विस्तृत संदर्भ देना उचित होगा।

(10) उस मामले के तथ्य थे कि कुछ समय अक्टूबर, 1980 में, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी) और अन्य संबद्ध सेवाओं में 61 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। भर्ती की प्रक्रिया को पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू होता था, द्वारा नियंत्रित किया गया था। उन नियमों के नियम 9(1) ने प्रदान किया था कि प्रतिस्पर्धी परीक्षा हरियाणा के किसी भी स्थान पर हर वर्ष जनवरी के आसपास होगी, जिसका उद्देश्य होगा प्रतियोगिता द्वारा चयन के लिए वो संख्या निर्धारित करना जो हरियाणा के गवर्नर निर्धारित करेगा और ऐसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा उन नियमों के संलग्न अनुमोदन में दी गई शर्तों के अनुसार होगी। नियम 10 ने पात्रता परीक्षण की शर्तें निर्धारित की थी। अनुमोदन–1 में प्रारूप–1 ने प्रदान किया था कि प्रतिस्पर्धी परीक्षा में अनिवार्य और वैकल्पिक विषय शामिल होंगे और प्रत्येक उम्मीदवार को सभी अनिवार्य विषय और तीन वैकल्पिक विषयों में से अधिकतम तीन विषय लेने होंगे, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पूर्व सैनिकों को वैकल्पिक विषयों में दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। अनिवार्य विषय में इंग्लिश निबंध, हिंदी, हिंदी निबंध और सामान्य ज्ञान शामिल थे जिनके कुल 400 अंक थे और वहां एक भी विवा वोस परीक्षण भी था जो अनिवार्य था और प्रत्येक 200 अंक थे और प्रत्येक वैकल्पिक विषय में 100 अंक थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के प्रतिक्रिया में लगभग 6000 उम्मीदवार ने भर्ती के लिए आवेदन किया और आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया। लगभग 600 उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा में भाग लिया, से 1300 से अधिक उम्मीदवारों ने 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया था और इसलिए उन्हें विवा वोस परीक्षण के लिए बुलाया गया जो कि साक्षात्कार के लिए होता है।

लगता है कि मूल रूप से 61 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन लिखित परीक्षा और विवा वोस परीक्षण में समय लगने के दौरान रिक्तियों की संख्या बढ़ गई और अंततः 119 पद भरे जाने के लिए उपलब्ध हो गए और लिखित परीक्षा और विवा वोस परीक्षण में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर 119 उम्मीदवारों का चयन और आयोग ने राज्य सरकार को सिफारिश की। लगता है कि कुछ उम्मीदवार थे जिन्होंने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उनके विवा वोस परीक्षण में कम अंक प्राप्त होने के कारण, वे पहले 119 उम्मीदवारों में नहीं आ सके और उन्हें इसलिए चयन नहीं किया गया। वे आयोग द्वारा की गई चयन से नाराज थे और कुछ उन्होंने विभिन्न कारणों पर इस महकमे में एक राइट पेटीशन दाखिल की। उस मामले में एक मुद्दा यह भी था कि लिखित परीक्षा को दिए गए अंकों की तुलना में, विवा वोस परीक्षण को दिए गए अंकों का अनुपात अत्यधिक था और यह चयन प्रक्रिया में एक अनावश्यक अनियमितता को लाने वाला तत्व था जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हुआ। इस सवाल को देखते हुए, भगवती, जे. (जैसे उनकी वर्तमान मान्यता थी) अब मुख्य न्यायाधीश, पहले ने आशीर्वाद सूचनाओं पर संदर्भ दिया जो लीला

धर बनाम राजस्थान राज्य (4) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ टिप्पणियों के रूप में की गई थीं:

"23. चिन्नप्पा रेड्डी, जे. ने लीला धर बनाम राजस्थान मामले में इस महकमे द्वारा कहा था कि सार्वजनिक सेवा में प्रवेश के लिए किसी भी चयन प्रक्रिया का उद्देश्य सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त व्यक्ति को प्राप्त करना होता है, संरक्षित परामर्श और पक्षपात से बचते हुए। योग्यता के आधार पर चयन, निष्पक्षता से और वस्तुनिष्ठता से परीक्षित होना, किसी भी उपयोगी और कुशल सार्वजनिक सेवा की मौलिक नींव है। इसलिए, खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा सामान्यत: सार्वभौमिक रूप से सार्वजनिक सेवाओं के लिए प्रवेश के लिए एक्सेप्टेड हो गई है। लेकिन सवाल यह है, प्रतिस्पर्धी परीक्षा कैसे तैयार की जानी चाहिए? प्रतिस्पर्धी परीक्षा केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो सकती है या फिर केवल मौखिक साक्षात्कार पर आधारित हो सकती है या फिर यह दोनों का मिश्रण हो सकता है। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षा कैसे तैयार की जानी चाहिए, यह सरकार का पूरा विवाद है। चिन्नप्पा रेड्डी, जे. के शब्दों को उद्धृत करने के लिए, "चीजों की प्रकृति के अनुसार, इसे महकमे और महकमे की प्राधिकरण या क्षमता के अंदर नहीं होगा और महकमा उसके अंदर नहीं जाएगा जब मामले अधिक उपयुक्त हों तो रास्ते बाहर निकालने के लिए, जो विशेषज्ञों की बुद्धि के लिए छोड़ दिए गए हों"। यह महकमे के लिए नहीं है कि स्पष्ट करें कि क्या साक्षात्कार परीक्षा को होना चाहिए या यह नहीं, या फिर अर्बिट्रेनेस के आरोपों से बचाव के लिए कितने अंक होने चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं। कुछ मामले और नियुक्तियों हो सकती हैं जहां चयन का केवल सही तरीका हो सकता है विवा वोस परीक्षण द्वारा। यहां उचित तरीका से उन्हें कोर्ट द्वारा कड़ी नियम नहीं बनाए जा सकते। विशेषज्ञ संगठनों को आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ निर्णयक होते हैं। विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त करने वाली सरकार उचित हो सकती है कि एक लिखित परीक्षा के बाद एक विवा वोस परीक्षा करवाए।"

उसके बाद, ग्लेन स्टाहल की पुस्तक 'सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासन' और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अजय हसिया बनाम खालिद, मुजीब (5) को स्पष्ट करने के लिए संदर्भ दिया गया है ताकि विवा वोस परीक्षण के फायदे और नुकसान को स्पष्ट किया जा सके। "इसके बाद ज्ञानी न्यायाधीश ने यह देखने का विचार किया कि क्या विवा वोस परीक्षण में 33.3 प्रतिशत अंकों का आवंटन (एक्स-सर्विस ऑफिसर्स के मामले में) और 22.2 प्रतिशत अंकों का आवंटन (अन्य उम्मीदवारों के मामले में) क्या चयन प्रक्रिया को अनियमित बना देता है। फिर से, इस पहलू को देखते हुए, कोथारी समिति की रिपोर्ट और इस तथ्य का भी संदर्भ था कि उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा में विवा वोस परीक्षण के लिए आवंटित अंकों का प्रतिशत भी और भी कम किया गया था, जो कि 12.2 प्रतिशत था। इस चर्चा के प्रकाश में, अंततः यह खुलासा किया गया कि 22.2 प्रतिशत के कुल अंकों का आवंटन विवा वोस परीक्षण के लिए चयन प्रक्रिया को अनियमितता के दोष से ग्रस्त करता है।

(11) इस पहले दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, अगला सवाल जो विचार के लिए उठाया गया था, वह था कि इन दोनों मामलों में विवा वोस परीक्षण के लिए सही प्रतिशत

अंक क्या होना चाहिए, अर्थात्, एक्स-सर्विस ऑफिसर्स के मामले में और अन्य उम्मीदवारों के मामले में। भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य संबद्ध सेवाओं के चयन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अपनाए गए प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए, एक निर्देश जारी किया गया कि अब से यहां, जहां भर्ती की जानी है, हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं में चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और विवा वोस परीक्षण से मिलकर होती है, तो विवा वोस परीक्षण के लिए आवंटित अंक कुल चयन के उद्देश्य से ध्यान में रखे गए कुल अंकों का 12.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, सुझाव भी था कि इस प्रतिशत को राज्यों के अन्य लोक सेवा आयोगों द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह उचित है कि पूरे देश में चयन प्रक्रिया में एकता हो और संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसरण किया जा रहा अभ्यास राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा भी एक मार्गदर्शक के रूप में लिया और अनुसरण किया जाना चाहिए। एक्स-सर्विस ऑफिसर्स के मामले में विवा वोस परीक्षण के लिए आवंटित अंक 25 प्रतिशत पर बनाए गए थे।

(12) अब, जब मैं अशोक कुमार यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखता हूँ, मुझे यह लगता है कि विवा वोस परीक्षण के 12.2 प्रतिशत के अंकों का निर्धारण केवल हरियाणा सिविल सेवाओं (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए है और उस प्रतिशत का विवा वोस परीक्षण के लिए निर्धारण इस मामले में लागू नहीं हो सकता। अधिकारियों द्वारा उपयोग किए गए शब्द 'अन्य संबद्ध सेवाएं' का संदर्भ उन सेवाओं को माना जाता है जिनके लिए आयोग ने पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930 के आधार पर परीक्षा की थी। मैं मानता नहीं हूँ, कि मामले में वर्तमान सेवाओं के लिए विवा वोस परीक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायाधीश ने 'अन्य संबद्ध सेवाओं' शब्द का उपयोग करते हुए सभी सेवाओं के प्रतिशत का निर्धारण करने का इरादा नहीं किया था। अशोक कुमार यादव के मामले के पैरा 25 में भगवती, जे. (जो अब सीखे न्यायाधीश हैं) महकमे के लिए यह विचार व्यक्त करते हैं:

"विवा वोस टेस्ट को लिखित परीक्षा के खिलाफ दिये जाने वाले निश्चित वज़न के बारे में कोई कठोर और दृढ़ नियम नहीं हो सकता। यह सेवा से सेवा तक भिन्न होना चाहिए, सेवा की आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए, आयु समूह से, जिससे चयन किया जाना है, उस निकाय से, जिसे विवा वोस टेस्ट का कार्य सौंपा जाना है, और कई अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग होना चाहिए। यह मुख्य रूप से विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित करने का मामला है। न्यायालय के पास आवश्यक साधन नहीं है और इस पर फैसला करना उचित नहीं होगा, जब तक चिन्नप्पा रेड्डी, जे. के शब्दों का उपयोग किया जाए, "लीला धर" मामले में सिद्ध या स्पष्ट तरह से विपरीत मोटिव्स के साथ ज्यादा वज़न दिया गया हो।"

उपरोक्त विचारों से हमारा दृष्टिकोण पूर्णतः समर्थन प्राप्त करता है कि विवा वोस परीक्षण के लिए निर्धारित अंकों का प्रतिशत केवल पंजाब सिविल सेवा (कार्यपालिका शाखा) नियम, 1930 के आधार पर आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए था, अन्यथा उपरोक्त

विचार अर्थहीन हो जाता। उपरोक्त विचारों के आधार पर स्पष्ट करने के लिए, विवा वोस परीक्षण को लिखित परीक्षा के खिलाफ दिया जाने वाला वज़न सेवा से सेवा तक भिन्न होना चाहिए, सेवा की आवश्यकता के अनुसार, न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए, आयु समूह से, जिससे चयन किया जाना है, उस निकाय से, जिसे विवा वोस परीक्षण का कार्य सौंपा जाना है, और कई अन्य कारकों के अनुसार।

(13) इसके अलावा, यदि याचिकाकर्ताओं के वकील का दावा सही माना जाए, तो उससे निश्चित रूप से यह भी मानना होगा कि जो दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट ने लीला धर के मामले में व्यक्त किया था, वह गलत नहीं है। उस मामले में, सेवा जिस पर सवाल था, वह राजस्थान न्यायिक सेवा थी। उस सेवा के नियमों के अनुसार, मुंसिफों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रतियोगी परीक्षा में लिखित परीक्षा शामिल थी जिसमें दो कानून के पेपर 100 अंकों के हर एक साथ थे और दो पेपर थे, एक हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी में, प्रत्येक 50 अंकों के साथ, और एक विवा वोस परीक्षा जो 100 अंकों के साथ थी। प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद, एक असफल उम्मीदवार ने एक रिक्ति पत्र दायर किया जिसमें उन्होंने 189 अंक प्राप्त किए थे, जिसमें लिखित परीक्षा में 159 और विवा वोस में 30 अंक थे, और उस रिक्ति पत्र में उठाए गए कुछ बिंदुओं में से एक बिंदु यह था कि संपूर्ण चयन को विवा वोस परीक्षण के लिए कुल अंकों का 25 प्रतिशत आवंटित करने से पूर्णत: असंतुलित हो गया था। वह ज्ञानी न्यायाधीश ने उस बिंदु पर गहराई से विचार किया था न्यायिक निर्णयों, कोठारी समिति की रिपोर्ट और ग्लेन स्टाहल की 'सार्वजनिक कार्मिक प्रशासन' किताब के आधार पर और पाया कि साक्षात्कार के लिए आंकलन किए गए अंक अत्यधिक नहीं थे। अब इस निर्णय को लीला धर के मामले में व्यक्त भी किया गया है (सुप्रसिद्ध) और इसे न तो विभाजित किया गया है और न ही इससे असहमति जाहिर की गई है।

अगर सभी सेवाओं के लिए प्रतिशत 12.2 लिया जाना हो, जैसा कि आशोक कुमार यादव के मामले के प्रकाश में कहा गया था, तो निश्चित रूप से लीला धर के मामले में व्यक्त दृष्टिकोण को अखण्डित कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया; बल्कि उस निर्णय से उद्धृत उद्धरण भव्यता से उद्धृत किए गए हैं और जैसा पहले ही पैरा 25 में उल्लिखित किया गया है, वह स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि कोई कठोर और दृढ़ नियम नहीं बनाया जा सकता है और विवा वोस परीक्षण को लिखित परीक्षा के खिलाफ दिये जाने वाले निश्चित वज़न सेवा से सेवा तक भिन्न होना चाहिए। इस चरण पर, मैं इस महत्त्वपूर्ण निर्णय की विवरणित नहीं होने वाले निर्धारण के बारे में संकेत कर सकता हूँ जो इस महकमे के अनप्रकटित निर्णय में था (सुखदेव सिंह निर्माण और अन्य, बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सुप्रसिद्ध)), जिसकी सहीता को इस संदर्भ में संदेह किया गया था। सीधे कहना चाहिए कि साक्षात्कार के लिए 35 प्रतिशत अंकों का आवंटन करने के बारे में एक

तर्क उठाया गया था और उसे बिना बहुत चर्चा किए संगति दे दी गई थी। इसलिए उस निर्णय को केवल उस मामले की तथ्यों में ही सीमित करना होगा और इसे हमारे सामने उठाए गए बिंदु पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

(14) उपरोक्त चर्चा के प्रकार को देखते हुए, जो एकमात्र निष्कर्ष हो सकता है, वह है कि आशोक कुमार यादव के मामले के निर्णय के आधार पर (सुप्रसिद्ध), यह नहीं कहा जा सकता कि हर एक सेवा के संबंध में, हरियाणा राज्य में कर्मचारी निरीक्षकों के पदों सहित, जहां लिखित और विवा वोस परीक्षा का निर्धारण किया गया है, केवल 12.2 प्रतिशत अंक विवा वोस परीक्षण के लिए आवंटित करने की ज़रूरत थी।

(15) इससे हम अगला प्रश्न उठाते हैं कि विवा वोस के लिए आवंटित किए गए अंक, जो 28.5 प्रतिशत थे, क्या अधिक थे? माननीय प्रतियोगी के वकील मो0 अरविंद मलिक द्वारा जो कहा गया था, उसके अनुसार, लिखित परीक्षा को आवंटित किए गए अंकों की तुलना में, विवा वोस परीक्षण को आवंटित किए गए अंकों का प्रामाण अत्यधिक था और यह चयन प्रक्रिया में एक अनधिकृत तत्व ला दिया था।

(16) हमने पक्षों के वकीलों को सुना है और यह देखा है कि इस संदर्भ में यहाँ प्रतियोगी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही इस याचिका के समर्थन में कोई डेटा प्रस्तुत किया है। जैसा कि याचिका के धुन से स्पष्ट होता है, याचिका का सम्पूर्ण मामला मुख्य रूप से इस पर आधारित है कि आशोक कुमार यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि विवा वोस अंकों का प्रतिशत 12.2 रखा जाना चाहिए; लेकिन उस निर्देश के बावजूद 28.5 प्रतिशत एक अधिक प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य बोर्ड के सदस्यों में वे उम्मीदवार थे जिन्हें बोर्ड की दिशा में रुचि थी। इस पहलू पर, हमने पहले ही यह निर्णय किया है कि आशोक कुमार यादव के मामले का अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें उल्लिखित विवा वोस अंकों का प्रतिशत सभी सेवाओं के लिए लागू हो हरियाणा राज्य में।ऐसा होने के बावजूद, यह प्राथमिकता थी कि याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से दिखाना चाहिए कि इस सेवा के लिए 28.5 प्रतिशत अंकों को विवा वोस परीक्षण के लिए अत्यधिक था। सरकारी सेवा में प्रवेश के रूप में खुली प्रतियोगी परीक्षा लगभग सर्वत्र स्वीकृत हो गई है। प्रतियोगी परीक्षा को कैसे तैयार किया जाना चाहिए, इस पर भगवती, जे., (अब माननीय मुख्य न्यायाधीश) ने आशोक कुमार यादव के मामले में इस तरह से विश्लेषण किया है:

"प्रतियोगी परीक्षा केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो सकती है या केवल मौखिक साक्षात्कार पर आधारित हो सकती है या यह दोनों का मिश्रण हो सकता है। इस बारे में कौनसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा उपयुक्त होगी, यह सरकार का पूरी तरह से निर्णय है

कि किसी भी विशेष मामले में। चिन्नप्पा रेड्डी, जे. के शब्दों को उद्धरण करते हैं, 'बातों की प्रकृति के कारण यह न्यायालय की प्रांतीयता या योग्यता नहीं होगी और यह न्यायालय ऐसी विशेष जंगलों में प्रवेश नहीं करेगा जहां समाधान खोजना, जब मामले उचित रूप से छोड़े जाने चाहिए'। यह न्यायालय के लिए यह नहीं है कि वह निर्धारित करे कि क्या साक्षात्कार परीक्षण को होना चाहिए या कितने अंकों को साक्षात्कार परीक्षण के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से होने वाले आरोपों से बचाव के लिए होना चाहिए, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं। कुछ पदों और नियुक्तियों हो सकती हैं जहाँ चयन का एकमात्र उचित तरीका विवा वोस परीक्षण से हो सकता है। यही कारण है कि इन मामलों में न्यायालय द्वारा कठोर नियम नहीं बनाए जा सकते। विशेषज्ञ संगठन आमतौर पर सबसे अच्छे न्यायकर्ता होते हैं। सरकार जो क्षेत्र में विशेषज्ञों की मदद से सहायता प्राप्त कर सकती है, वह उचित रूप से निर्णय ले सकती है कि वह एक लिखित परीक्षा और उसके बाद एक विवा वोस परीक्षा कराए।"

पहले ही दर्शाया गया है कि निश्चित रूप से लिखित परीक्षा के खिलाफ विवा वोस परीक्षण को दिये जाने वाले निश्चित वज़न के बारे में कोई कठोर और दृढ़ नियम नहीं बनाया जा सकता है। यह सेवा से सेवा तक भिन्न होना चाहिए अनुसार, सेवा के आवश्यकताओं, न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए, जिन आयु समूह से चयन किया जाना है, विवा वोस परीक्षण को कराने के लिए प्रस्तावित शरीर और अन्य कई कारकों के अनुसार। जैसा पहले भी उल्लिखित है, याचिकाकर्ताओं ने अब तक कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है जो उनके पक्ष में एक निर्णय दर्ज करने में सहायक हो। कृत्रिम कल्पनाओं के आधार पर, सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि अनुचित भी होगा कि विवा वोस परीक्षण के लिए आवंटित किए गए अंकों को अत्यधिक मानकर उन्हें खारिज किया जाए। इसलिए, मान्य वकील का विवाद खारिज किया जाता है।

(17) अंतिम रूप में, मालिक जी ने यह दावा किया कि आशोक कुमार यादव के मामले में (सुप्रसिद्ध), नियमित परीक्षण से संबंधित अंकों की संख्या में स्थापित किया गया है कि लिखित परीक्षा के बाद विवा वोस परीक्षण के लिए बुनियादी प्रक्रिया के अनुसार, संदर्भ में केवल 29 रिक्तियों थीं और बोर्ड ने 494 उम्मीदवारों को बुलाया, जो रिक्तियों के 16 गुना आया, और इसे यह संदेश मिला कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत चयन को खारिज किया जाना चाहिए।

(18) पूरी बात को ध्यान से विचार करने के बाद, मामले की परिस्थितियों में, हमें माननीय वकील के इस दावे में कोई गुण नहीं दिखता। याचिका में कहा गया है कि 29 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया था। लिखित बयान में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने 4 जुलाई, 1985 को प्रतिवादी संख्या 3 को अलग-अलग श्रेणियों के 79 उम्मीदवारों के लिए संशोधित मांग भेजी थी, जिसके खिलाफ बोर्ड ने जनवरी, 1986 को 49 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी, कि बहुत सारे उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए गए थे और साक्षात्कार के बादशाह आत्मा को कोई दोष नहीं देता। यह बात बिल्कुल सही है कि यदि मूल मांग को ध्यान में रखा जाए तो साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या 16 गुना आती है और यदि संशोधित मांग को ध्यान में रखा जाए तो यह 6 गुना आती है।

चाहे जैसा भी हो, यह बात यही है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या आशोक कुमार यादव के मामले में निर्धारित मानक से काफी अधिक थी। इस मामले में मामले की तरफ मुद्दा होता है कि क्या यह एकमात्र तथ्य होने से पूरी तरह से चयन को अमान्य बना देना चाहिए। एक समान स्थिति आशोक कुमार यादव के मामले में भी उत्पन्न हुई थी, जहाँ उम्मीदवारों ने अधिकतम 20 गुना उपलब्ध रिक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन मामले की गहराई में जाने के बाद, यह देखा गया कि किसी की दिमाग में शक है कि विवा वोस परीक्षण में अन्याय का कोई तत्व हो सकता है, इसे सबूत की जगह नहीं लिया जा सकता है और चयन को यह कारण से नहीं खारिज किया जा सकता है कि उम्मीदवारों के अंकों का मूल्यांकन अनियमित हो सकता है। इस निर्णय के माध्यम से, चयन को नहीं खारिज किया गया था, चाहे यह तथ्य निर्धारित किया गया हो कि इतनी बड़ी संख्या को बुलाना सही नहीं था। इसलिए, यहां की याचिकाकर्ता को सकारात्मक रूप से सिद्ध करना था कि बोर्ड द्वारा की गई चिन्हांकन स्पष्ट और निर्दोष रूप से अनियमित था या विकृत मकसदों से प्रभावित था। यही कारण है कि यदि मूल्यांकन प्रामाणिक रूप से अनियमित है या अनियमितता का खतरा इतना अधिक है कि एक सामयिक व्यक्ति अनियमितता को अवश्यक माने, तो विवा वोस परीक्षण में अंकों का मूल्यांकन अनियमितता के दोष से पीड़ित हो सकता है। लेकिन फिर भी याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है या कोई प्रभावशाली डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। इस मामले के इस दृष्टिकोण में, जैसा पहले ही देखा गया, ज्ञानी वकील का विवाद अस्वीकार्य है।

(19) कोई और सवाल ध्यान में नहीं आता।

(20) ऊपर दर्ज कारणों के कारण, रिट पिटीशन बिना किसी मेरिट के हैं, असफल हैं और खारिज किए जाते हैं। मामले के परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा

(1) (1983) 4 S.C.C, 417.

(2) 1985 (2) S.L.J. 482. (3) CW 4777785 decided on 21st February, 1986

(4) A.I.R. 1981 S.C. 1771.

(5) AIR 1981 S.C. 487.